

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2755(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 2014 की अधिसूचना सं. 50, जिसे का.आ. 2752 (अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. प्रधान अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची -I में क्रम सं. 67 के पश्चात, क्रम सं. 67क को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

क्रम.सं	आयकर प्राधिकारियों का नाम	मुख्यालय	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	मामलें अथवा मामलों का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67 क	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, श्रीनगर	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर का संघ शासित क्षेत्र तथा लद्दाख का संघ शासित क्षेत्र.	जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र तथा लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र के सभी जिले	(क) कारोबार अथवा व्यवसाय से होने वाली आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कॉलम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में निवास करते हैं। (ख) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके व्यवसाय अथवा कारोबार का प्रधान स्थल कॉलम 4 में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आते हैं। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय का प्रधान कार्यालय कॉलम(4) में उल्लिखित है। (घ) कालम 6 की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति।	(क) कॉलम 5 की मद (क)(ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित सभी मामले (ख) कालम 5 की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंधनिदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यक्तियों के सभी मामले

(ii) खंड (घक) के उपरान्त निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा :-

“(घख) इसके साथ अनुबंध अनुसूची iv के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची 4 की कालम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों में हैं, को प्राधिकृत करता है कि वह अपनी मौजूदा उक्त अनुसूची-iv के कॉलम 4 में तदनुरूपी प्रविष्टी में ऐसे अधिकार क्षेत्र में सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्गों के किसी मामले अथवा मामले के वर्ग के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(iii) अनुसूची- III, के उपरान्त निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी।

“अनुसूची IV

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -2
2	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -5
3	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -1	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -6
4	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-3	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -4
5	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-3	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -7
6	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-3	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, गांधीनगर
7	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, सूरत-1	सूरत	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, सूरत-2
8	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, सूरत-1	सूरत	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, सूरत-3
9	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वडोदरा-1	वडोदरा	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वडोदरा-2
10	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वडोदरा-1	वडोदरा	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वडोदरा-3
11	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, राजकोट-1	राजकोट	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, राजकोट-3
12	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-1	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-6
13	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-2	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-7
14	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-3	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-5
15	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-3	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मैसूर
16	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बेंगलुरु-4	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, गुलबर्ग
17	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पणजी	पणजी	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, हुबली
18	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पणजी	पणजी	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मैंगलोर
19	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, भोपाल-1	भोपाल	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, भोपाल-2
20	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, जबलपुर-1	जबलपुर	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, जबलपुर-2
21	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, रायपुर-1	रायपुर	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, रायपुर-2
22	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, रायपुर-1	रायपुर	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, बिलासपुर

2. यह अधिसूचना 13 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 63/2020/एफ.सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2014 के का.आ. 2752 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी तथा बाद में दिनांक 20 सितम्बर 2019 के का.आ. 3426 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संशोधित की गई थी।